

धारा-22. अंश धारण करने पर निबन्धन- व्यक्ति विशेष सदस्य-

(क) न तो समिति की कुल अंश-पूंजी के ऐसे भाग से, जो उसके 1/5 से अधिक न हो और नियत किया जाये, अधिक धारित करेगा, और

(ख) न 3[ऐसी धनराशि से जो नियत की जाये] अधिक अंकित (nominal) मूल्य के अंशों में कोई हित रखेगा और न उसमें किसी हित का दावा करेगा।